प्रेस नोट *27/12/2025*

थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से 50000 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में संदिग्ध / वांछित अपराधी के गिरफ्तारी हेतु आदेशानुसार प्राभारी निरीक्षक के क्रम में क्षेत्र में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम व एसटीएफ टीम के द्वारा गिरफ्तार शुदा एक नफर पचास हजार रुपये पुरस्कार घोषित मफरुर/वांछित अपराधी आदम उर्फ अमान पुत्र स्व0 शेर मुहम्मद खान निवासी रूम नंबर 13/14 के डी कंपाउंड अमन सोसाइटी कांदिवली वेस्ट मुंबई (महाराष्ट्र) उम्र करीब 29 वर्ष स्थायी पता ग्राम पिकौरा थाना खोड़ारे जनपद गोंडा (उ0प्र0) सम्बन्धित मु0अ0सं0 105/24 धारा 376, 452, 506 IPC थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ विवरण इस प्रकार है कि थाना स्थानीय से रवाना होकर उ0नि0 वैभव कुमार पाण्डेय दिनांक 22.12.2025 को पतारसी सुरागरसी करते हुए लखनऊ यूपी एसटीएफ कार्यालय पहुंचे जहां पूर्व से पुरस्कार घोषित मफरुर/वांछित अभियुक्त आदम पुत्र स्व शेर मुहम्मद खान निवासी रूम नंबर 13/14 के डी कंपाउंड अमन सोसाइटी कांदिवली वेस्ट (मुंबई) की तलाश व गिरफ्तारी हेतु गठित टीम के सदस्य निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा, उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र सिंह यादव, हे0का0 श्री विजेंद्र नाथ राय, हे0का0 श्री प्रभात कुमार, का0चा0 श्री शिव वीर सिंह मय सरकारी वाहन संख्या UP 32 BG 4103 के जानकारी प्राप्त करने में मामूर मिले। उप निरीक्षक वैभव कुमार पाण्डेय द्वारा एसटीएफ टीम से संपर्क कर एसटीएफ लखनऊ के संसाधनों का उपयोग करते हुए वांछित आदम उपरोक्त की लोकेशन, फोटो, हुलिया व अन्य जानकारी साझा की गयी। वांछित की लोकेशन लोनावला मुंबई (महाराष्ट्र) में होना पाया गया। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में उप निरीक्षक वैभव कुमार पाण्डेय मय एसटीएफ टीम के गैर प्रांत महाराष्ट्र के लोनावला पहुंचे जहां वांछित आदम के अन्य संभावित तरीके से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वांछित आदम उपरोक्त लोनावला स्टेशन पर मौजूद है और कही जाने की फिराक में है। प्राप्त जानकारी व सूचना पर विश्वास कर उप निरीक्षक वैभव कुमार पाण्डेय मय एसटीएफ टीम के लोनावला रेलवे स्टेशन पहुंचे और आस पास तलाश करने तथा वारंटी के फोटो हुलिया मिलाने का प्रयास किया गया तो प्लेटफॉर्म नंबर 02 पर उसी हुलिया का एक व्यक्ति हाथ में एक गुलाबी रंग की पन्नी लिए ट्रेन के आने का इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। गिरफ्तारी टीम के विश्वास होने पर कि यही वांछित अपराधी आदम है, घेर घार कर एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम आदम उर्फ अमान पुत्र स्व शेर मुहम्मद खान निवासी रूम नंबर 13/14 के डी कंपाउंड अमन सोसाइटी कांदिवली वेस्ट मुंबई उम्र करीब 29 वर्ष स्थायी पता ग्राम पिकौरा थाना खोड़ारे जनपद गोंडा उ0प्र0 बताया। गिरफ्तारी के समय माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए वांछित अभियुक्त आदम उपरोक्त को साथ लेकर जीआरपी थाना पुणे (महाराष्ट्र) पहुंचे जहां नियमानुसार वांछित को दाखिल किया गया। गिरफ्तारी की कारण बताते हुए गिरफ्तारी की सूचना लिखित रूप में वांछित को दिया गया तथा वांछित के कहने पर गिरफ्तारी की सूचना वांछित अभियुक्त आदम उपरोक्त की माता वसीमा बानो पत्नी स्व शेर मुहम्मद खान को उनके मोबाइल नंबर पर उप निरीक्षक वैभव कुमार पाण्डेय के द्वारा दिया गया तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के पश्चात थाना मुहम्मदाबाद गोहना लाया गया।

पुरस्कार घोषित

अभियुक्त आदम उर्फ अमान पुत्र स्व0 शेर मुहम्मद खान पता उपरोक्त पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय के द्वारा 50,000 रूपये पुरस्कार घोषित

गिरफ्तार अभियुक्त

1. आदम उर्फ अमान पुत्र स्व0 शेर मुहम्मद खान निवासी रूम नंबर 13/14 के डी कंपाउंड अमन सोसाइटी कांदिवली वेस्ट मुंबई (महाराष्ट्र) उम्र करीब 29 वर्ष स्थायी पता ग्राम पिकौरा थाना खोड़ारे जनपद गोंडा (उ0प्र0)

गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी

थाना मुहम्मदाबाद व एसटीएफ संयुक्त टीम-

1. निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा (एसटीएफ)
2. उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र सिंह यादव (एसटीएफ)
3. उप निरीक्षक वैभव कुमार पाण्डेय (थाना मु0बाद गोहना)
4. हे0का0 श्री विजेंद्र नाथ राय (एसटीएफ)
5. हे0का0 श्री प्रभात कुमार (एसटीएफ)

पुलिस के दबाव में पुरस्कार घोषित 25 हजार रुपये इनामिया अभियुक्त का आत्मसमर्पण–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना रानीपुर पुलिस को गिरफ्तारी में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जिसमें हत्या से सम्बन्धित करीब हजार इनामिया अपराधी 25 माह से फरार चल रहे 02**प्रदीप यादव पुत्र श्यामा यादव निवासी ग्राम नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर** ने थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार के अथक प्रयासबार बार दबिश व दबा ,व से कोर्ट में सरेन्डर किया । दिनांक 26.10.को थाना रानीपुर क्षेत्र 2025 अन्तर्गत ग्राम पिरुवाँ निवासी राजेश सिंह की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी राजेश सिंह की पत्नी द्वाराथाना रानीपुर में मुकदमा पंजीकृत करायीं विवेचना के क्रम में कुल अभियुक्त प्रकाश में 08 आये थे प्रदीप यादव उपरोक्त को छोड़ कर अन्य सभी अभियुक्तगणों को पूर्व में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है। प्रदीप यादव उपरोक्त करीब माह से फरार चल रहा था जिसने जनपद गाजीपुर कोर्ट में 2 आत्मसमर्पण कियाजिसका अन्य जनपद में भी गैगेस्टर एक्ट व कई संगीन धाराओँ में मुकदमा पंजीकृत है।

-:आत्मसमर्पण अभियुक्त

1. प्रदीप यादव पुत्र श्यामा यादव निवासी ग्राम नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर

-मुकदमे का विवरण

मु0अ0सं0 185/25 धारा 103(1),61(2) बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ

आपराधिक*इतिहास*

प्रदीप यादव पुत्र श्यामा यादव निवासी ग्राम नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर
1. मु0301 .सं.अ./2020 धारा 3/ आर्म्स एक्ट थाना 25दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
2. मु0332 .सं.अ./2020 धारा 120-B, 147, 148, 149, 302 भादवि व 3(2)(v) एससीएसटी एक्ट थाना मरदह जनपद गाज़ीपुर
3 मु0121 .सं.अ./2021 धारा 3(1) उ० प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना मरदह जनपद गाज़ीपुर
4. मु0477 .सं.अ./2020 धारा 147, 148, 149, 302, 34 भादवि व 3/ आर्म्स एक्ट थाना 25कासिमाबाद जनपद गाज़ीपुर
5. मु0अ0सं0 185/25 धारा 103(1),61(2) बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ

थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा रात्रि में (I20) कार से अवैध देशी शराब ले जाते दो व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार तथा उनके कब्जे से कुल 05पेटी में पाउच देशी शराब 225 किया गया बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन में वांछितसंदिग्ध/ व्यक्तिजिला बदर तथा / इनामिया अपराधियो, व जनपद में हो रही चोरी, लूट व अवैध शराब से सम्बन्धित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा रात्रि में संदिग्ध लोगों को टोका टोकी करने व संदिग्ध वाहनों का विवरण अंकित करने के सम्बन्ध में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरे जनपद मे बनवाये गये सभी रात्रि चेकिंग अधिकारियों के सभी टोका टाकी रजिस्टर के क्रम में टोका टाकी हेतु आज दिनांक 27.12.2025 को रात्रि समय 01. एएम पर 20बोझी गोफा मार्ग पर एक संदिग्ध I20 कार नम्बर UP70 DS1645 को रोक कर उस पर सवार दो व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम 1.पीन्टू सिंह पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी नवपुर अमिला थाना- घोसी मऊ उम्र करीब 24वर्ष तथा दूसरे ने अपना नाम विकास पुत्र दिनेश निवासी गोफा थाना- घोसी मऊ उम्र करीब वर्ष 20 बताया गया जिन्हे निचे उतरवाकर गाडी की डिग्गी खोलने को कहने पर वे पहले सकपका कर मना करने लगे सख्ती करने पर डिग्गी खोल कर दिखाने पर उसमें कुल 05 पेटी देशी शराब उसमें कुल 200 पाउच देशी शराब 225 ML के बन्टी बबली लिखा बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि यह देशी शराब हम कटिहारी स्थित देशी शराब की दुकान से रु 55पये मे खरीद कर लाकर प्रत्येक पीस रुपये मे बेंचते हैं और इसी से मौज मस्ती करते हैं। इनके 75 इस कृत्य व बरामदगी के आधार पर इन्हे हिरासत पुलिस मे लेकर वाहन व देशी शराब कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना घोसी मेंमु617 0सं0अ0/ 2025धारा आबकारी अधिनियम60 पंजीकृत किया गया व उक्त वाहन को बिना कागजात के पाये जाने पर वाहन संख्या UP 70DS 1945I20 को अन्तर्गत धारा एमवी एक्ट 207 मे सीज किया गया। उक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. पिन्टू सिंह पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी नवपुर अमिला थाना- घोसी मऊ उम्र करीब 24वर्ष
2. विकास पुत्र दिनेश निवासी गोफा थाना- घोसी मऊ उम्र करीब वर्ष 20

अनवारणित अभियोग

1. मु617 0सं0अ0/ आबकारी अधिनियम60 धारा 2025थाना घोसी जनपद मऊ

बरामदगी विवरण

1. बरामद कुल पाउच 225 गत्ता में 05 अवैध देशी शराब पाऊच प्रत्येक पाउच 200ML की

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ सूरज सिंह 0नि0
3. हे विनोद कुमार यादव 0का0
4. का राजित यादव 0
5. काअनिल चौधरी 0
6. काअवनीश कुमार 0